न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गूर्जर, R.A.S.

प्रकरण सख्या:–250/2021 दायर दिनांक:–21.06.2021

जीसीएमएस नं. 2021/214

प्रेमवती पुत्री भीकालाल पत्नि हरवीर सिंह आयु 55 साल जाति जाट निवासी मुकुन्दपुरा तहसील हिण्डौन हाल निवासी ग्राम पथैना तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज0।

——————सायलान–02

बनाम

1. भीकालाल पुत्र राजपाल आयु 75 साल जाति जाट निवासी मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0
2. कुम्हेर सिंह आयु 58 साल
3. सुमेर सिंह आयु 45 साल
4. गुमान सिंह आयु 42 साल
5. अरूण सिंह आयु 38 साल
6. निरी देवी आयु 40 साल
7. मोहन देई आयु 52 साल
8. सब रजिस्ट्रार हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली।
9. तहसीलदार हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली।
10. दी स्टेट ऑफ राजस्थान तामिल जरिये जिला कलक्टर करौली।

——गैरसायालन–10

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित:– 1. श्री पी एल गोयल अधिवक्ता सायल
2. श्री शाहिद अली अधिवक्ता गैरसायलान 1 ता 3

निर्णय दिनांक

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजीयात खसरा न0 403 रकबा 0.25 है0, 404 रकबा 0.22 है0, 406 रकबा 0.14 है0, 407 रकबा 0.10 है0, 408 रकबा 0.10 है0, 409 रकबा 0.14 है0, 414 रकबा 0.10 है0, 415 रकबा 0.09 है0, 448 रकबा 0.25 है0, 458 रकबा 0.15 है0, 459 रकबा 0.15, 460 रकबा 0.02 है0, [illegible] है0, 463 रकबा 0.21 है0, 464 रकबा 0.24 है0, 504 रकबा 0.13 है0, 510 र[illegible], 511 रकबा 0.10 है0, 512 रकबा 0.22 है0, 513 रकबा 0.13 है0, [illegible] 516 रकबा 0.11 है0, 517 रकबा 0.17 है0, 519 र[illegible]26 कुल रकबा 3.96 है[illegible] मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन है जिसमें राजपाल बल्द कर[illegible] सिंह का 1/3 हिस्से मे[illegible] हिस्सा अर्थात 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:18:14 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात खसरा न0 243 रकबा 0.30 है0, 247 रकबा 0.14 है0, 248 रकबा 0.41 है0, 263 रकबा 0.20 है0, 288 रकबा 0.28 है0, 304 रकबा 0.72 है0, 308 रकबा 0.30 है0, 335 रकबा 0.69 है0, 335/1238 रकबा 0.44 है0, 367 रकबा 1.07 है0, 410 रकबा 0.19 है0, 412 रकबा 0.18 है0, 418 रकबा 0.23 है0, 420 रकबा 0.14 है0, 476 रकबा 0.86 है0 479 रकबा 0.63 है0, 484 रकबा 0.70 है0 कुल किता 17 कुल रकबा 7.38 है0 ग्राम मुकन्पुरा तहसील हिण्डोन का खातेदार काश्तकार राजपाल बल्द करबल रहा है।

आराजी खसरा न0 793 रकबा 0.23 है0 स्थित ग्राम मुकन्पुरा तहसील हिण्डौन का 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार राजपाल बल्द करबल रहा है।

आराजी खसरा न0 730 रकबा 1.82 है0 स्थित ग्राम मुकन्पुरा तहसील हिण्डौन राजपाल पुत्र करबल के द्वारा खरीदशुदा आराजी थी तथा राजपाल सायला एवं गैरसायलान नम्बर 2 ता 7 का बाबा व गैरसायल नम्बर 1 का पिता रहा है, जोकि सायला एवं गैरसायलान के संयुक्त परिवार का कर्ता खानदान रहा है। तथा उक्त आराजीयात सायला के बाबा राजपाल के द्वारा गैरसायल नम्बर 1 के नाम से खरीदकर उसके नाम खातेदारी दर्ज करा दी।

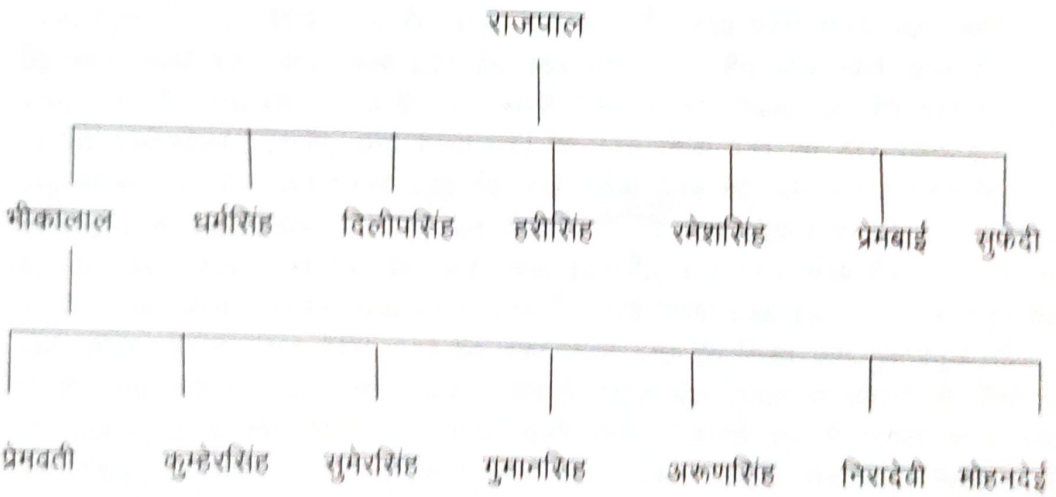

सायला एवं गैरसायलान नम्बर 2 ता 7 खास बहिन भाई है तथा भीकालाल सायला का पिता है तथा राजपाल पुत्र करबल गैरसायल नम्बर 1 का पिता व सायला तथा गैरसायलान नम्बर 2 ता 7 का नाना रहा है तथा आराजीयात मुतजिका मद नम्बर 2 व 4 प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र सायला के बाबा राजपाल पुत्र करबल कि संयक्त खातेदारी की आराजीयात रही है तथा मुतजिका मद नम्बर 3 प्रार्थना पत्र राजपाल की खातेदारी की भूमि रही है तथा आराजीयात मद नम्बर 5 प्रार्थना पत्र सायला के बाबा द्वारा खरीद कर गैरसायल नम्बर 1 के नाम खातेदारी करायी गयी है। इस प्रकार उपरोक्त आराजीयात मुतजिका मद न0 2 ता 5 प्रार्थना पत्र सायला के बाबा की भूमि होने से सायला की पैतृक आराजीयात रही है जिस पर मुताबिक हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम सायला का हक व हिस्सा है, जिसे सायला कानूनन प्राप्त करने की अधिकारी है। सायला का शजरा निम्न प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:18:14 IST
Reason: SelfAttested

सायला व गैरसायलान नम्बर 2 ता 7 के [illegible] नम्बर 1 के पिता राजपाल का स्वर्गवास होने पर उपरोक्त [illegible] ता 5 प्रार्थना पत्र की खातेदारी राजपाल के अन्य वारिशा[illegible] के अनुरूप गैरसायल नम्बर 1 की खातेदारी में आई। इस प्रकार आराजीयात मुत[illegible] नम्बर 2 प्रार्थना पत्र की भूमि में गैरसायल नम्बर 1 का 1/42 हिस्सा तथा आराजीयात मुतजिका मद न0 3 प्रार्थना पत्र की भूमि में प्रतिवादी नम्बर 27/140 हिस्सा तथा आराजीयात मुतजिका मद नम्बर 4 प्रार्थना पत्र की भूमि गैरसायल नम्बर 1 का 1/14 हिस्से का खातेदार काश्तकार रहा तथा आराजीयात मुतजिका मद नम्बर 5 प्रार्थना पत्र में गैरसायल नम्बर 1 द्वारा अपने 1/2 हिस्से में से 2/6

हिस्सा विक्रय करने के उपरांत 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार रहा, लेकिन उपरोक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 ता 5 प्रार्थना पत्र की आराजीयात से सायला के हिस्से को खत्म करने की गरज से गैरसायलान व अन्य दीगर लोगो को उक्त भूमि को विक्रय करने पर आमादा है। अगर गैरसायलान अपने उक्त नापाक मंसुबे से कामयाब हो गये तो सायला अपनी पैतृक आराजीयात में अपने हिस्से से महरूम हो जावेगी तथा सायला को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है।

बांका दिनांक 17.06.2021 समय करीब दिन के 10:00 बजे का है कि सायला आराजीयात मुतजिक्रस मद न0 2 ता 5 प्रार्थना पत्र में अपने हिस्से में बुंबाई हेतु देखभाल कर रही थी कि इतने में ही गैरसायलान नम्बर 1 ता 7 मौके पर आये और सायला से कहा िकइस जमीन पर तु क्या कर रही है यहा तेरी कोई जमीन नहीं है, जिस पर सायला ने गैरसायलान से कहा कि मेरी पुश्तैनी बाबा की जमीन है और इसमें कानूनन मेरा हिस्सा है और मैं अपने हिस्से पर काबिज हूँ। जिस पर भी गैरसायलान नाराज हो गये तथा गैरसायल नम्बर 1 ने कहा कि तेरा इस जमीन में कोई हिस्सा नहीं है। इस जमीन की खातेदारी मेरे नाम है और मैं उसे तुम्हारे भाईयों व अन्य दीगर लोगों को रहन व्यय कर उनके हक में वयनामा करा दुंगा, तुम्हे जमीन नहीं दूंगा, तुमने ज्यादा कुछ कहा और किया जो तुम्हे जमीन से जबरन बेदखल कर देगे, तुम्हारे हिस्से की भूमि पर कब्जा कर लेगे, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती। सायला द्वारा गैरसायलान को समझाने व सम्बन्धों की दुहाई देने पर भी वे मानने को तैयार नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हाजा दायर करना आवश्यक हुआ।

गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है, जबकि गैरसायालन को पाबन्द नहीं करने से सायला का अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि आराजीयात खसरा न0 403 रकबा 0.25 है0, 404 रकबा 0.22 है0, 406 रकबा 0.14 है0, 407 रकबा 0.10 है0, 408 रकबा 0.10 है0, 409 रकबा 0.14 है0, 414 रकबा 0.10 है0, 415 रकबा 0.09 है0, 448 रकबा 0.25 है0, 458 रकबा 0.15 है0, 459 रकबा 0.15, 460 रकबा 0.02 है0, 461 रकबा 0.20, 462 रकबा 0.21 है0, 463 रकबा 0.21 है0, 464 रकबा 0.24 है0, 504 रकबा 0.13 है0, 510 रकबा 0.13 है0, 511 रकबा 0.10 है0, 512 रकबा 0.22 है0, 513 रकबा 0.13 है0, 514 रकबा 0.11 है0, 515 रकबा 0.12 है0, 516 रकबा 0.11 है0, 517 रकबा 0.17 है0, 519 रकबा 0.17 है0, 243 रकबा 0.20 है0, 247 रकबा 0.14 है0, 248 रकबा 0.41 है0, 253 रकबा 0.20 है0, 288 रकबा 0.28 है0, 304 रकबा 0.72 है0, 308 रकबा 0.30 है0, 335 रकबा 0.69 है0, 335/1238 रकबा 0.44 है0, 367 रकबा 1.07 है0, 410 रकबा 0.19 है0, 412 रकबा 0.18 है0, 418 रकबा 0.23 है0, 420 रकबा 0.14 है0, 478 रकबा 0.86 है0 479 रकबा 0.63 है0, 484 रकबा 0.70 है0, 793 रकबा 0.23 है0, 730 रकबा 1.82 है0 स्थित ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डोन मुतजिक्रा मद न0 2 ता 5 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात से सायला के हिस्से से उसे जबरन ना तो स्वयं बेदखल करे नाही किसी अन्य से करावे तथा गैरसायल न0 1 उक्त आराजीयात को दीगर लोगो को रहन व्यय कर उसका वयनामा गैरसायाल नम्बर 8 के कार्यालय में पंजीकृत नहीं करावे [illegible] करे जिससे सायला के उक्त आराजीयात में निहित उसके हक हकूकों को कोई [illegible] प्रकार की पहुचे। सायला को अपने हिस्से की आराजीयात की [illegible] मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल[illegible] को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 ता 3 की ओर से श्री शाहिद अली जरिये वकालतन उपस्थित आये एवं जबाव प्रा0 पत्र पेश किया जो आदेशिका दिनांक 21.12.2023 से शामिल पत्रावली किया गया जो निम्नानुसार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:18:14 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थना पत्र के मद न0 01 में दावा पेश करना तो स्वीकार है, परन्तु सायला ने दावा कतई गलत झुंठे आधारों पर पेश किया है, जिसमें सायला को सफलता मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।
2. प्रार्थना पत्र के मद न0 02 में अराराजीयात के खसरा न0 और रकबा मुताबिक रिकॉर्ड दर्ज होने से स्वीकार है।
3. प्रार्थना पत्र के मद न0 03 में अराराजीयात के खसरा न0 और रकबा मुताबिक रिकॉर्ड दर्ज होने से स्वीकार है।
4. प्रार्थना पत्र के मद न0 04 में अराराजीयात के खसरा न0 और रकबा मुताबिक रिकॉर्ड दर्ज होने से स्वीकार है।
5. प्रार्थना पत्र का मद न0 05 गलत होने से अस्वीकार है। क्योंकि खसरा न0 730 संयुक्त परिवार की संयुक्त खातेदारी में कभी नहीं रहा है। गैरसायल न0 01 की स्वअर्जित भूमि है, जिस पर गैरसायलान नम्बर 01 ता 07 का कब्जाकाश्त है, सायला का कोई कब्जा नहीं है।
6. प्रार्थना पत्र का मद न0 06 में दर्ज सायला और गैरसायालन नम्बर 02 ता 07 सगे भाई–बहिन होना स्वीकार है, शेष तथ्य अस्वीकार है, क्योंकि उक्त आराजीयात गैरसायल न0 01 के हिस्से की भूमि है, जिस पर गैरसायल नम्बर 01 का ही कब्जा है। सायला का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है, सायला की गेरसायल नम्बर 01 द्वारा शादी कर दी गई और अपनी सुसराल पथैना तहसील भुसावर में अपने पति के घर सुखदपूर्वक निवास कर रही है। हर तीज त्यौहार पर मानते चीनते है। भात जामने सभी समय पर दिये है।
7. प्रार्थना पत्र का मद न0 07 स्वीकार नहीं है, क्योंकि गैरसायल न0 01 ने अपने हिस्से की उपरोक्त आराजीयात को गैरसायल न0 02 ता 07 को मौके पर बाहमी बटवारा के तौर पर काश्त हेतु दे रखा है। सायला का उपरोक्त आराजीयात के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा नहीं है, सम्पूर्ण भूमि मुताबिक हिस्सा के अनुसार गैरसायल न0 01 ता 07 का ही कब्जेकाश्त है। सायला का वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है। और ना ही कभी उक्त पर कब्जा सायला का रहा है।
8. प्रार्थना पत्र का मद न0 08 स्वीकार नहीं है। उपरोक्त आराजीयात पर सायला ने कभी भी काबिज व दखील होकर फसल काश्त नहीं की और ना ही वर्तमान में सायला का कब्जाकाश्त है। सम्पूर्ण भूमि पर गेरसायल नम्बर 01 ता 07 का ही कब्जा है।
9. प्रार्थना पत्र का मद न0 09 गलत होने से स्वीकार नहीं है, क्योंकि गैरसायल न0 01 ने गैरसायल न0 01 ने गैरसायल नम्बर 02 ता 07 से कभी भी साज कर उपरोक्त आराजीयात को बेचान करने की मंशा नहीं रखी और ना ही भविष्य में उक्त भूमि को बेचान करने की मंशा है। उक्त मद में दर्ज तथ्य आधारहीन व असत्य होने के कारण स्वीकार नहीं है।
10. प्रार्थना पत्र का मद न0 10 असत्य व आधारहीन होने के कारण स्वीकार नहीं है, क्योंकि तथाकथित दिनांक व समय को सायला कभी भी उपरोक्त आराजीयात में बोई हुई फसल को देखने नहीं आई तथा उक्त जमीन को लेकर सायला व गैरसायलान में कभी भी कहासुनी नहीं हुई । उक्त मद में दर्ज सभी तथ्य गलत व आधारहीन तथा मनगंढत है, जो स्वीकार नहीं है।
11. प्रार्थना पत्र का मद न0 11 असत्य व आधारहीन [illegible] स्वीकार नहीं है, क्योंकि उपरोक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद [illegible] सायला का कोई कब्जाकशत नहीं [illegible] अस्थायी निषेधाज्ञा पर सायला के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होकर [illegible] अभाव में प्राइमफेसी केस साबित है। इसलिये गैरसायलान को पाबन्द करने से गैरसाय[illegible] न0 01 ता 07 के पक्ष में उन्हें काफी अपूर्तनीय क्षति होगी, सुविधा का संतुलन भी गेरसायल न0 01 ता 07 के पक्ष में बखूबी साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:18:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

...ब शामिल पत्रावली किया गया एवं गैरसायल न0 04 ता 10 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं जिससे आदेशिका दिनांक 08.07.2024 से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति जमाबंदी स0 2073–76 खाता संख्या 126, जमाबंदी स0 2073–76 खाता संख्या 2, जमाबंदी स0 2073–76 खाता संख्या 68, जमाबंदी स0 2073–76 खाता संख्या 123, प्रमाणित नकल जमाबंदी खाता संख्या 70, नकल जमाबंदी 2049–52, वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है, साथ ही गैरसायलान वकील द्वारा अपनी बहस में जबाब प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को नकारते हुए सायल का प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेद्याज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति जमाबंदी स0 2073–76 खाता संख्या 126, जमाबंदी स0 2073–76 खाता संख्या 2, जमाबंदी स0 2073–76 खाता संख्या 68, जमाबंदी स0 2073–76 खाता संख्या 123, प्रमाणित नकल जमाबंदी खाता संख्या 70, नकल जमाबंदी 2049–52, वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी गैरसायलान के नाम दर्ज रिकार्ड है। दस्तावेज एंव उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो हम हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सायला भी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार हैं अतः प्रकरण में उभयपक्ष की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में दिनांक 09.09.2020 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में खसरा न0 403, 404, 406, 407, 408, 409, 414, 415, 448, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 504, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 519, 243, 247, 248, 253, 288, 304, 308, 335, 335/1238, 410, 412, 418, 420, 478, 479, 484, 793, 730 वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी की रिकॉर्ड की स्थिति यथावत ताफैसला बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 05.09.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 5/9/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:18:14 IST
Reason: SelfAttested